न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 02/23 वर्ष 2023

जीसीएमएस संख्या 2023/25

बउनवानीः–हुकमचन्द पुत्र श्री छीतरमल कोली, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः–श्री रंगलाल गुर्जर वकील अपीलान्ट

श्रीमति पूजा मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार रसद

–:निर्णय :– दिनांकः– 23.01.2024

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 01.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पो. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य होने के कारण निरस्त फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा दिनांकं 7.4.2017 को अपीलान्ट की दुकान की जॉच की गयी। दौराने जॉच रसद सामग्री के गबन एवं दुरूपयोग जैसा कोई आरोप प्रमाणित नही हुआ है केवल मात्र तकनिकी अनियमितताओ के आधार पर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया किन्तु नोटिस की प्रति प्रार्थी से गुम हो जाने के कारण प्रार्थी कारण बताओं नोटिस का जवाब समय पर प्रस्तुत नही कर सका बिना जवाब के प्रार्थी को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी की दुकान के अनुज्ञा पत्र को अत्यधिक कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया जो कतई गैर कानूनी है। यह तर्क भी दिया कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 2.6.2017 मे सभी प्रकार के आरोप तकनीकी प्रकृति के आरोप है कोई राशन सामग्री गबन अथवा कालाबाजारी या दुरूपयोग किये जाने का कोई भी आरोप प्रमाणित नही है। राजस्थान सरकार खाद्य एंव आपूर्ति विभाग के परिपत्र दिनांक 25.3.1994 मे दिये गये निर्देशो के विरूद्व जाकर जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 1.9.2017 पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना साबित नही होता है जबकि आदेश दिनांक 1.9.2017 मे यह लिखा गया है कि प्रार्थी को कई बार सुनवायी एवं जवाब पेश करने हेतु लिखा गया है एवं डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब का समग्र अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नही बताया गया है किन्तु दूसरी तरफ जवाब प्रस्तुत नही करना बताया गया है इस प्रकार बनावटी शब्दो का प्रयोग आदेश जैर अपील मे किया गया है जो सरासर गलत है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय की प्रत्रावली पर प्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार को दिये गये नोटिस एवं नोटिस के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत जवाब की प्रति संलग्न नही है। उक्त दुकान अपीलान्ट का एक मात्र रोजगार का साधन है जिससे अपीलान्ट के परिवार का पालन पोषण होता है किन्तु उक्त दुकान के अभाव मे अपीलान्ट के सामने परिवार का पालन पोषण की भारी समस्या है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे की गयी थी जो क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण दिनांक 27.1.2023 को खारिज करते हुए श्रीमान के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गयी है। माननीय न्यायालय के निर्णय से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मयाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह भी कि यह अपील मयाद बाहर पेश की गयी है साथ ही यह भी तर्क दिया कि श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त राज0 जयपुर के पत्रांक/)खा.वि./

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:18 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

सत/सवाईमाधोपुर/17–ए जयपुर दिनांक 10.3.2017 व जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक स्पे. 1 दिनांक 5.4.2017 के कम में दिनांक 6.4.2017 से 7.4.2017 तक की अवधि में संयुक्त जॉच दल द्वारा उनको आवंटित खण्डार तहसील के 5 उचित मूल्य दुकानदार श्री गोवर्धन गर्ग, अल्लापुर, श्री दिनेश मीना, दौलतपुरा, श्री विनोद सिंह राजावत मेईकला, श्री हुकमचन्द कोली बहरावण्डा कलां एवं श्री सतीश कुमार जैन खण्डार की दुकानो का निरीक्षण किया गया। दौराने जॉच अपीलान्ट की दुकान बन्द पायी गयी, दुकान के बाहर दुकान बन्द होने का कोई कारण अंकित नही पाया गया। दुकान के बाहर मूल्य स्टोक सूची बोर्ड पर सूचनाओं का प्रदर्शन अंकित नही पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार को सूचना दिये जाने के बावजूद दुकान नही खोलना एवं राशन सामग्री का नियमित रूप से वितरण नही करना एवं बिना सक्षम अनुमति के वितरण केन्द्र मे परिवर्तन किया जाना पाया जाने पर अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया जाकर अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जरिये पत्रांक 1878–79 दिनांक 2.6.2017 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा नोटिस का कोई जवाब नही दिया गया। इसके उपरान्त अपीलान्ट को कई बार सुनवायी एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया किन्तु अपीलान्ट डीलर द्वारा कार्यालय मे उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नही किया जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार श्री हुकमचन्द कोली का प्राधिकार पत्र मय प्रतिभूति राशि 1000/–रू समपहरण किया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार श्री हुकमचन्द कोली,उचित मूल्य दुकानदार को जारी नोटिस कमांक 1878–79 दिनांक 2.6.2017 का जवाब नही दिया गया एवं इसके अतिरिक्त सुनवायी हेतु डीलर को कई बार लिखा जाने पर कोई जवाब नही दिया। इसके विपरीत आदेश जैर अपील मे यह भी अंकित किया गया है डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब का समग्र अवलोकन कर युक्तियुक्त सुनवायी की गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील निर्णय दिनांक 1.9.2017 मे अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे किये गये कथन विरोधाभाषी प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नोटिस कमांक 1878–79 दिनांक 2.6.2017 की प्रति है परन्तु उक्त नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त हुआ हो ऐसा कोई साक्ष्य नही है एवं उक्त नोटिस के परिप्रक्ष्य मे प्रस्तुत जवाब की प्रति उपलबध नही है ओर ना ही पत्रावली की आदेशिका संघारित की गयी है। उक्त विवेचन से यह भलि भांति स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है, ओर बिना सुनवायी के पारित निर्णय विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप भी विभागीय परिपत्र दिनांक 25.3.1994 के निर्देशो अनुसार तुच्छ आरोपों की श्रेणी मे आते है जिसके आधार पर डीलर के विरूद्व कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट डीलर को पुनः सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना उचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट डीलर को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:18 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner